

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2 जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक:- F 7(1) AWW-AWH/Job/Training/ICDS/16/ 24925

जयपुर दिनांक 6-2-19

कार्यालय आदेश

वर्ष 2017-18 के आंगनबाड़ी सहायिकाओं के कार्य (ओरियेन्टेशन) प्रशिक्षण हेतु नामांकन आदेश जारी कर निर्देश दिये जाते हैं कि वे नामांकित संख्या में संबंधित आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र पर दिनांक 11.03.2019 से 19.03.2019 व दिनांक 22.03.2019 से 30.03.2019 तक प्रशिक्षण हेतु आंगनबाड़ी सहायिकाओं को भिजवाकर सूचित करें। इस संबंध में निम्नलिखित निर्देशों का पालन करें :-

1. गर्भवती एवं 6 माह के बच्चे की माता को प्रशिक्षण में नामांकित नहीं किया जावे।
2. प्रशिक्षणार्थी सहायिकाओं के साथ 6 माह से 3 वर्ष तक का बच्चा साथ होगा तो प्रति बच्चा प्रतिदिन रू. 20/- आवास भोजन हेतु संस्था में जमा कराने होंगे। यदि साथ में महिला अटेन्डेन्ट हो तो रू. 150/- प्रति व्यक्ति के हिसाब से संस्था में जमा कराने होंगे। पुरुष अटेन्डेन्ट संस्था में नहीं रह सकेगे।
3. उन्हीं आंगनबाड़ी सहायिकाओं को कार्य प्रशिक्षण में भेजें। जिन्होंने पूर्व में कार्य प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया हो।
4. आंगनबाड़ी सहायिकाओं को यात्रा भत्ता (TA) का भुगतान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र पर ही किया जावेगा।
5. आंगनबाड़ी सहायिकाओं के आवास एवं भोजन की व्यवस्था आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र पर ही उपलब्ध होगी।
6. सभी आंगनबाड़ी सहायिका अपना परिचय-पत्र/पहचान पत्र (आधार कार्ड की प्रतिलिपि) साथ लेकर जावें तथा प्रशिक्षण में सम्मिलित नहीं होने पर उनको हटाने के लिये कार्यवाही की जावेगी।
7. सम्बन्धित उप निदेशक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र को परियोजनावार नामांकन सूचना सम्बन्धित आदेश प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ होने के न्यूनतम पांच दिवस पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
8. सम्बन्धित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र, प्रशिक्षण संबंधी आदेश प्राप्त न होने की स्थिति में प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ होने से न्यूनतम 2 दिवस पूर्व उपनिदेशक कार्यालय एवं निदेशालय सूचना देवें, ताकि प्रशिक्षण कार्यक्रम में मानदेय कर्मियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जा सकें।

उप निदेशक (प्रशिक्षण)
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर।
जयपुर दिनांक 6-2-19

क्रमांक:- F 7(1) AWW-AWH/Job/Training/ICDS/16/ 24926-940

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. प्राचार्य, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र,.....
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्
3. उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग,.....
4. लेखा प्रशाखा, मुख्यालय, जयपुर
5. उपनिदेशक/एसीपी, कम्प्यूटर सेल को भेजकर निवेदन है कि उपरोक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करावें।

उप निदेशक (प्रशिक्षण)
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर।

आंगनवाड़ी सहायिकाओं का कार्य (ओरियेन्टेशन) प्रशिक्षण हेतु नामांकन
दिनांक 11.03.2019 से 19.03.2019 व दिनांक 22.03.19 से 30.03.19 तक

क्र. सं.	आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र का नाम	दिनांक	जिला का नाम	AWH	नामांकन संख्या
1.	युवा भारत संस्थान, वल्लभ गार्डन रोड, अम्बेडकर कॉलोनी, देवडा बिल्डर्स के पास, बीकानेर P.N- 9166149637	11.03.19 से 19.03.19	हनुमानगढ़ - 33 गंगानगर - 17	AWH	50
		22.03.19 से 30.03.19	चुरू - 20 झुन्झुनू - 15 बीकानेर - 15	AWH	50
2.	हितकारी महिला गढ़ पैलेस, कोटा, P.N- 9829037676	11.03.19 से 19.03.19	बारा - 34 कोटा - 06 बूंदी - 06 झालावाड़- 04	AWH	50
3.	सीकाईडीकोन, शील की डुंगरी, चाकसू (जयपुर) P.N- 7568304930	11.03.19 से 19.03.19	सवाईमाधोपुर- 10 दौसा - 20 जयपुर - 10 अजमेर- 10	AWH	50
4.	विद्या भवन ग्रामीण संस्थान, बड़गाँव रोड, उदयपुर P.N- 9462023109	11.03.19 से 19.03.19	डुंगरपुर	AWH	50
		22.03.19 से 30.03.19	राजसमन्द - 15 डुंगरपुर - 20 चित्तौड़गढ़ - 15	AWH	50